राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक : एफ.6(74)स्था/का.बा./22 पार्ट V   जयपुर, दिनांक 16 MAY 2022

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.7(23) भर्ती 'क'/नि.का.बॉ./2019–20/1834 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा चयन हेतु पात्र पाये जाने पर कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग में निरीक्षक, कारखाना एवं बायॅलर्स के पद पर नियुक्ति हेतु नाम अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप निम्न अभ्यर्थी को राजस्थान सर्विस आफॅ इन्सपेक्टर आफॅ फेक्ट्रीज एण्ड बॉयलर्स {एण्ड इन्सपेक्टर ऑफ फेक्ट्रीज (केमिकल)} नियम, 1958 के नियमों के अन्तर्गत विभाग मे निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स के पद पर उपस्थिति देने की सगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि परिवीक्षा काल के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश-परिपत्र तथा प्रचलित सेवा नियमों के प्रावधानान्तर्गत नियमानुसार देय नियत (फिक्स) वेतन पर निम्नानुसार उनके नाम के आगे अंकित स्थान पर एतद् द्वारा नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है:–

क्र. स.	नाम	वर्ग	चयनित वर्ग	रोल नं.	मेरिट नं.	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1.	MUNENDRA SINGH CHAUDHARY	BC	GENM	109334	M-01	15.08.1997	निरीक्षक, कारखाना एवं बायॅलर्स हनुमानगढ़

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:–

1. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लंबित प्रकरण, यदि कोई हो तो उसके अध्यधीन रहेगी।
2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।
3. उक्त अभ्यर्थी की जन्म दिनांक वही है, जो इन्होनें परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित की है, एवं जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
4. उक्त उल्लेखित अभ्यर्थी की नियुक्ति राजस्थान सर्विस आफॅ इन्सपेक्टर आफॅ फेक्ट्रीज एण्ड बॉयलर्स {एण्ड इन्सपेक्टर ऑफ फेक्ट्रीज (केमिकल)} नियम, 1958 के नियमों के उपबन्धों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
5. राज्य सरकार द्वारा अन्यथा समझे जाने पर परिवीक्षा काल की अवधि स्व–विवेकानुसार बढाई जा सकती है। यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नही पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
6. दो वर्ष का परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स के पद का वेतन नियमानुसार देय होगा। परिवीक्षा काल में इन्हें कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होगें।
7. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
8. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
9. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declartion" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

10. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है। परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
11. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे। परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.12(6)वित्त/नियम/2005 दिनांक 13.03.2006 तथा प.13(1)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं नवीन दिशा–निर्देशों के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन होगी।
13. उक्त अभ्यर्थी आदेश जारी करने की दिनांक से 15 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
14. अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व 50 रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्रमाण पत्र सत्य हैं, प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।

उक्त आदेश सक्षम अनुमोदन उपरान्त जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से

(परमेश्वर लाल)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार, राज., जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय, राज0, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राज., जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज., जयपुर।
9. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राज., जयपुर।
10. मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थी की संबंधित सेवा नियमों में वर्णित शैक्षणिक योग्यताओं/अनुभव/विभिन्न प्रमाण पत्रों इत्यादि की जांच सुनिश्चित करने एवं अन्य प्रचलित नियमों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने पर ही कार्यग्रहण करावें।
11. श्री मुनेन्द्र सिंह चौधरी को रजिस्टर्ड डाक से (द्वारा मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, राज0, जयपुर)।
12. निजी पत्रावली /रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव